

## दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016](#) के कार्यान्वयन में अपेक्षित नयिम बनाने में कुछ राज्यों की वफ़िलता पर नाराज़गी व्यक्त की।

### मुख्य बटु:

- अधनियम के अनुसार, **राज्य की नयिम-नरिमाण शकतयिों** में दिव्यांगता पर अनुसंधान के लयि एक समतिका गठन, ज़िला स्तरीय समतियिों का गठन और राज्य आयुक्त की सेवाओं के **वेतन**, भततों एवं अन्य शरतों को नरिधारति करना तथा दिव्यांगजनों के लयि धन का सृजन शामिल है।
- शीरष न्यायालय ने पाया कऱसने अधनियम के उचति कार्यान्वयन के लयि कई आदेश पारति कयि हैं लेकनि कई राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों ने अभी तक अपने दायतियों को पूरा नहीं कयि है।
- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे **राज्यों तथा केंद्रशासति प्रदेशों** ने **राज्य आयुक्तों की नयुक्ति नहीं की है**।
- जबकि गुजरात, हमिचल प्रदेश, केरल, मज़ोरम, पश्चमि बंगाल, दलिली, दमन एवं दीव, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख **ने अभी तक नरिधारति धनराशा का गठन नहीं कयि है**।

## दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

- यह अधनियम **दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD)** को प्रभावी बनाने के लयि **भारत की संसद** द्वारा पारति कयि गया था, जसि भारत ने वर्ष 2007 में अनुमोदति कयि था।
- यह अधनियम पहले के **नऱशकत व्यकतऱ (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूरण भागीदारी) अधनियम, 1995** का स्थान लेता है, जसि भारत में दिव्यांगजनों की ज़रूरतों और चुनौतियिों को संबोधति करने में अपर्याप्त तथा पुराना माना जाता था।
- अधनियम द्वारा शुरु कयि गए प्रमुख परिवर्तनों में से एक दिव्यांगता की परिभाषा और वर्गीकरण का वसितार है।
- अधनियम 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता देता है**, जबकि पिछले कानून के तहत यह 7 प्रकार की थी। ये हैं:
  - अंध और दृष्टि-बाधति, कुष्ठ रोग से मुक्त व्यकतऱ,
  - श्रवणवकिार/दोष, चलन-संबंधी दिव्यांगता, बौनापन
  - बौद्धकि दिव्यांगता, मानसकि रुग्णता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वकिार,
  - सेरेब्रल पालसी, मस्कूलर डिसिट्रॉफी, क्रोनकि न्यूरोलॉजिकल स्थतियिों,
  - स्पेसफिकि लर्नगि डिसिबिलिटी, मल्टीपल स्केलेरोससि, वाक् एवं भाषा दिव्यांगता,
  - थैलेसीमयिा, हीमोफीलयिा, सकिल सेल रोग,
  - श्रवण वकिार/दोष, तेजाब हमले से प्रभावति और पार्कन्सिंस रोग सहति कई दिव्यांगताएँ।
- यह केंद्र सरकार को नरिदषिट दिव्यांगता की कसिी अन्य श्रेणी को अधसिचति करने का अधिकार देता है।
- यह दिव्यांग व्यकतऱ को ऐसे व्यकतऱ के रूप में परिभाषति करता है जसिके पास दीर्घकालकि शारीरकि, मानसकि, बौद्धकि या संवेदी हानि है, जो बाधाओं के कारण, उन्हें दूसरों के साथ समान समाज में पूरी तरह और प्रभावी ढंग से भाग लेने से रोकती है।
- यह **बेंचमार्क दिव्यांगता** वाले व्यकतऱ को ऐसे व्यकतऱ के रूप में परिभाषति करता है, जसिमें नरिदषिट दिव्यांगता 40% से कम नहीं है, जहाँ नरिदषिट दिव्यांगता को मापने योग्य शरतों में परिभाषति नहीं कयि गया है और इसमें दिव्यांगता वाला व्यकतऱ भी शामिल है, जहाँ नरिदषिट दिव्यांगता को मापने योग्य शरतों में परिभाषति कयि गया है, जैसे- प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणति।
- इसके अनुसार दिव्यांग व्यकतियिों को सहायता की उच्च आवश्यकता होती है और उन्हें अपनी दैनिक गतिविधियिों के लयि दूसरों से सहायता की आवश्यकता होती है।

